

(43)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

सं. ए-31013/01/2020-केहिप्रसं. 2576

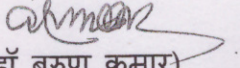
दिनांक:-07.12.2020

संशोधित आदेश

15 DEC 2020

इस कार्यालय के दिनांक 06.11.2020 के समसख्यक आदेश में क्रम संख्या 109 से 114 पर वर्णित हिंदी प्राध्यापकों के आज्ञापक प्रशिक्षण की अवधि दिनांक 24.02.2020 से 06.03.2020 के स्थान पर दिनांक 09.03.2020 से 20.03.2020 पढ़ा जाए।

सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना को निदेश दिया जाता है कि तदनुसार संबंधित हिंदी प्राध्यापकों की सेवा-पंजी में इस आशय का इन्दराज/प्रविष्टि कर दें।


(डॉ बरुण कुमार)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. उप निदेशक (मध्योत्तर/ पूर्व/ पश्चिम/ दक्षिण/ पूर्वोत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/ कोलकाता/ मुम्बई/ चेन्नै/ गुवाहाटी।
2. संबंधित हिंदी प्राध्यापकों की वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट(एपीआर) हेतु एक-एक प्रति।
3. सहायक निदेशक(मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली
- ✓ 4. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे उक्त आदेश को वेब-साइट पर अपलोड करें।
5. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. गार्ड फाईल